।। कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी,रूद्रप्रयाग ।।

पत्रांक :943/कोविड–19/2021 दिनांक 09/05/2021

अल्पकालीन निविदा नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र का शुल्क रु0 2000 (दो हजार रुपये मात्र) है, जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, रुद्रप्रयाग में नगद या मुख्य चिकित्साधिकारी के खाता संख्या 11561324072 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0007280 में जमा किया जा सकता है।
2. निविदा की वैधता 180 दिन होगी एवं निविदा में वांछित सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
3. वांछित सामग्रियों की कालातीत अवधि कम से कम दवाईयों की तीन वर्ष एवं उपकरणों की एक वर्ष होगी।
4. निविदा से संबंधित समस्त अधिकार मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग में निहित होंगे, जिसमें निविदा को समाप्त/रद्द का भी अधिकार होगा।
5. निविदा दाता एक या एक से अधिक सामग्रियों के क्रय में प्रतिभाग कर सकता है। तद्दानुसार बिड सिक्योरिटी संबंधी घोषणा निर्धारित प्रपत्र पर जमा करना होगा।
6. निविदादाता को फर्म का पेन संख्या, जी0एस0टी0 आदि का प्रमाण संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. राज्य या राज्य से बाहर किसी राजकीय विभाग की काली सूची में न होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र रुद्रप्रयाग का होगा।
9. निविदा संबंधी अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय बन्द लिफाफों को एक बन्द लिफाफे में रख उस पर निविदा विवरण (एन0 कोविड–19 सामग्री हेतु निविदा) अंकित करते हुए दिनांक 14.05.2021 की सांय 05.00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग में कार्यरत चीफ फार्मासिस्ट के पास जमा करना होगा।
10. उपरोक्त बिन्दुओं में यदि कोई तथ्य छूट गया है तो विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग का होगा।
11. औषधियों का प्रमाण पत्र WHO GMP द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 712/XX/VIII-3-2019-15/2019, दिनांक 27.09.2019 के बिन्दु संख्या 15.3 की शर्तें लागू होंगी।
12. सामग्री/चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से की जायेगी।
13. अल्पकालीन निविदा में दो श्रेणियां औषधियां एवं उपरकणों की है, जिसकी गुणवत्ता उपरोक्त शासनादेश संख्या 712/XX/VIII-3-2019-15/2019, दिनांक 27.09.2019 द्वारा परिभाषित उपकरणों की जांच जिला स्तरीय समिति जिसमें एक अभियांत्रिक शाखा का सदस्य होगा, से कराने के पश्चात मानको के अनुरूप पाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी
रूद्रप्रयाग।